भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 386

02.02.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का निष्पादन

386. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :
श्री वी. के. श्रीकंदन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) प्रभावी है, जबकि 1,787 कस्बे लंबे समय से वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, लेकिन केवल 130 शहर ही इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं, जिसके कारण प्रभावित आबादी का एक बड़ा हिस्सा नीतिगत हस्तक्षेप से अछूते रह गए हैं;

(ख) क्या सरकार वायु प्रदूषण को राष्ट्रव्यापी संरचनात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में स्वीकार करती है और यदि हां, तो एनसीएपी के अंतर्गत वर्तमान में लंबे समय से प्रदूषित वैधानिक शहरों के केवल चार प्रतिशत पर ही ध्यान दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 28 एनसीएपी शहरों में अभी भी सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की कमी के क्या कारण हैं, जबकि वैज्ञानिक आकलन जवाबदेही और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निगरानी मूलभूत आवश्यकता है;

(घ) क्या निगरानी किए गए 102 शहरों में से 100 शहरों में पीएम10 का स्तर अनुमेय सीमा के 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया है, जो लगातार और बिगड़ते प्रदूषण की प्रवृत्ति को दर्शाता है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारत के 44 प्रतिशत स्वाशासी शहरों मे लगातार पीएम 2.5 उल्लंघन दर्शाने वाले उपग्रह आंकड़ों के बावजूद वायु प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में विफल रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। कुल 130 शहरों में 122 ऐसे गैर-अनुपालक शहर शामिल हैं

जो लगातार पांच वर्षों (2015-2019) तक पीएम10 स्तरों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा करने में विफल रहे हैं, साथ ही इनमें दस लाख से अधिक आबादी वाले 08 शहर और शहरी समूह भी शामिल हैं। इन 130 शहरों में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के टियर-2 और टियर-3 के शहर शामिल हैं।

एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले सभी 130 शहरों के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों को कार्यान्वित किया जा सके और वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, अपशिष्ट दहन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां और औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित किया जा सके।

वर्ष 2019-20 से अब तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 130 शहरों को वायु प्रदूषण कम करने के उपायों का क्रियान्वयन करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्त अंतराल पोषण के रूप में 13,852.20 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादन-आधारित अनुदान जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएपी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), 'अमृत', स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव, 'सतत' और नगर वन योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों से संसाधनों के समन्वय के माध्यम से संसाधनों को जुटाने पर जोर देता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने बजट के अनुसार अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत धनराशि प्रदान करते हैं।

आपातकालीन स्थितियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली-एनसीआर के लिए श्रेणीबद्ध अनुक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तैयार की गई है, जो वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों का एक समूह प्रदान करती है और जिसे दिल्ली-एनसीआर में चरम शीतकाल के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

दिल्ली-एनसीआर की श्रेणीबद्ध अनुक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अनुरूप आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (ईआरएस) को एनसीएपी के अंतर्गत चिह्नित मानकों को पूरा न करने वाले/दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विकसित किया गया है। शहर के भीतर अति उत्सर्जन क्षेत्रों/हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और इन हॉटस्पॉट में चिह्नित स्रोतों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'वायु प्रदूषण के संबंध में स्वास्थ्य परामर्शिका' जारी की है।

सीपीसीबी ने परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए मानदंड जारी किए। तदनुसार, देश भर के 583 शहरों में 1601 निगरानी केंद्र (566 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और 1035 मैनुअल निगरानी केंद्र) संस्थापित किए गए हैं। 492 से अधिक शहरों में पीएम2.5 की निगरानी की जाती है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले 130 शहरों में 838 निगरानी केंद्र परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा के संग्रहण के साथ-साथ शहरों के वायु गुणवत्ता प्रदर्शन के आकलन के लिए

कार्यरत हैं। एनसीएपी के 28 शहरों में जहां निरंतर निगरानी केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां 82 परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र कार्यरत हैं और सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा जमीनी स्तर पर वायु गुणवत्ता डेटा की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से वायु गुणवत्ता डेटा संग्रहण में अंतर्निहित सीमाएँ और अनिश्चितताएँ हैं और इसमें जमीनी स्तर पर सत्यापन का अभाव है। उपग्रहों द्वारा किए गए एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) माप केवल संपूर्ण वायुमंडलीय स्तंभ में एरोसोल की मात्रा को इंगित करते हैं और ऊपरी एरोसोल परतों एवं बादल संदूषण से प्रभावित हो सकते हैं तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक पीएम2.5 की सांद्रता का सटीक मापन नहीं करते हैं।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा किए गए संकेंद्रित कार्रवाईयों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इनमें से 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 की सांद्रता में कमी देखी गई है। इनमें से 64 शहरों में पीएम10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी आई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और उनमें पीएम10 की सांद्रता 60 $\mu g/m^3$ से कम है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले 130 शहरों के वायु गुणवत्ता संबंधी विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

अनुलग्नक-I

राज्य	क्र. सं.	शहर	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएम 10 (µg/m^3) की सांद्रता का औसत	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम 10 (µg/m ^{3}) की सांद्रता का औसत	वित्त वर्ष 2017-18 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम10 (µg/m ^{3}) की सांद्रता में सुधार की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	1	अनंतपुर	78	**60**	23.1
	2	चित्तूर	70	**60**	14.3
	3	एलुरु	72	64	11.1
	4	गुंटूर	66	64	3.0
	5	कडपा	75	**56**	25.3
	6	कुरनूल	79	**60**	24.1
	7	नेल्लोर	64	**51**	20.3
	8	ओंगोल	65	**58**	10.8
	9	राजमुंदरी	85	**59**	30.6
	10	श्रीकाकुलम	69	79	-14.5
	11	विजयवाड़ा	91	64	29.7
	12	विशाखापत्तनम	76	101	-32.9
	13	विजयनगरम	72	74	-2.8
असम	14	गुवाहाटी	103	100	2.9
	15	नगांव	82	65	20.7
	16	नलबाड़ी	87	85	2.3
	17	सिलचर	49	**54**	-10.2
	18	शिवसागर	73	**55**	24.7
बिहार	19	पटना	172	167	2.9
	20	गया	79	87	-10.1
	21	मुजफ्फरपुर	147	131	10.9
चंडीगढ़	22	चंडीगढ़	114	114	0.0
छत्तीसगढ	23	कोरबा	57	69	-21.1
	24	दुर्ग भिलाईनगर	86	69	19.8
	25	रायपुर	70	75	-7.1
दिल्ली	26	दिल्ली	241	203	15.8
गुजरात	27	अहमदाबाद	164	103	37.2
	28	राजकोट	150	89	40.7
	29	सूरत	130	71	45.4
	30	वडोदरा	133	90	32.3
हरियाणा	31	फरीदाबाद	229	147	35.8

हिमाचल प्रदेश	32	बद्दी	174	108	37.9
	33	दमताल	55	**56**	-1.8
	34	काला अंब	118	84	28.8
	35	नालागढ़	146	68	53.4
	36	पांवटा साहिब	84	81	3.6
	37	परवाणू	66	**48**	27.3
	38	सुंदर नगर	78	**47**	39.7
जम्मू	39	जम्मू	157	124	21.0
	40	श्रीनगर	132	76	42.4
झारखंड	41	धनबाद	315	166	47.3
	42	जमशेदपुर	135	145	-7.4
	43	रांची	141	107	24.1
कर्नाटक	44	बेंगलुरु	92	68	26.1
	45	देवनागेरे	74	**57**	23.0
	46	गुलबर्गा/कलबुर्गी	55	**52**	5.5
	47	हुबली, धारवाड़	79	61	22.8
मध्य प्रदेश	48	भोपाल	112	107	4.5
	49	देवास	83	86	-3.6
	50	ग्वालियर	126	117	7.1
	51	इंदौर	82	83	-1.2
	52	जबलपुर	101	73	27.7
	53	सागर	73	79	-8.2
	54	उज्जैन	93	80	14.0
महाराष्ट्र	55	औरंगाबाद	75	100	-33.3
	56	अकोला	111	74	33.3
	57	अमरावती	102	76	25.5
	58	बदलापुर	160	90	43.8
	59	चंद्रपुर	118	111	5.9
	60	ग्रेटर मुंबई	161	90	44.1
	61	जलगांव	70	93	-32.9
	62	जालना	99	93	6.1
	63	कोल्हापुर	89	81	9.0
	64	लातूर	82	67	18.3
	65	नागपुर	100	92	8.0
	66	नासिक	82	76	7.3
	67	नवी मुंबई	88	90	-2.3
	68	पुणे	102	93	8.8

	69	सांगली	87	74	14.9
	70	सोलापुर	81	83	-2.5
	71	ठाणे	138	90	34.8
	72	उल्हासनगर	153	90	41.2
	73	वसई-विरार	99	90	9.1
मेघालय	74	बर्निहाट	175	98	44.0
नागालैंड	75	दीमापुर	142	112	21.1
	76	कोहिमा	127	71	44.1
ओडिशा	77	अंगुल	97	116	-19.6
	78	बालासोर	84	93	-10.7
	79	भुवनेश्वर	85	86	-1.2
	80	कटक	93	89	4.3
	81	कलिंग नगर	109	109	0.0
	82	राउरकेला	99	111	-12.1
	83	तालचेर	113	119	-5.3
पंजाब	84	अमृतसर	189	112	40.7
	85	डेरा बाबा नानक	79	**58**	26.6
	86	डेरा बस्सी	88	98	-11.4
	87	जालंधर	178	99	44.4
	88	खन्ना	142	101	28.9
	89	लुधियाना	168	129	23.2
	90	मंडी गोबिंदगढ़	148	124	16.2
	91	नया नांगल	87	**58**	33.3
	92	पटियाला	106	91	14.2
राजस्थान	93	जयपुर	172	142	17.4
	94	अलवर	152	105	30.9
	95	जोधपुर	189	122	35.4
	96	कोटा	139	115	17.3
	97	उदयपुर	127	121	4.7
तमिलनाडु	98	चेन्नई	66	**58**	12.1
	99	मदुरै	72	61	15.3
	100	त्रिची	88	**57**	35.2
	101	तूतीकोरिन	123	**56**	54.5
तेलंगाना	102	हैदराबाद	110	81	26.4
	103	नलगोंडा	59	78	-32.2
	104	संगारेड्डी	85	86	-1.2
उत्तर प्रदेश	105	आगरा	202	103	49.0

	106	इलाहाबाद	169	99	41.4
	107	गाजियाबाद	285	154	46.0
	108	कानपुर	227	102	55.1
	109	लखनऊ	253	142	43.9
	110	मेरठ	159	133	16.4
	111	वाराणसी	230	**59**	74.3
	112	अनपरा	175	155	11.4
	113	बरेली	207	**48**	76.8
	114	फिरोजाबाद	247	100	59.5
	115	गजरौला	204	148	27.5
	116	गोरखपुर	150	105	30.0
	117	झांसी	109	**60**	45.0
	118	खुर्जा	195	159	18.5
	119	मुरादाबाद	222	96	56.8
	120	नोएडा	229	149	34.9
	121	रायबरेली	145	79	45.5
उत्तराखंड	122	देहरादून	250	107	57.2
	123	काशीपुर	99	93	6.1
	124	ऋषिकेश	129	84	34.9
पश्चिम बंगाल	125	आसनसोल	147	131	10.9
	126	बैरकपुर	86	92	-7.0
	127	दुर्गापुर	150	149	0.7
	128	हल्दिया	92	81	12.0
	129	हावड़ा	139	92	33.8
	130	कोलकाता	147	92	37.4
